

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

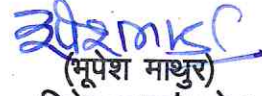
(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-10106\2013)/अलेसे-III/ 327

दिनांक:- 26-05-2022

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 538/2021-22 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा श्री प्रशान्त कुमार वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर से कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं.1, अजमेर किया गया था। परन्तु आदिनांक तक श्री प्रशान्त कुमार वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा उक्त आदेश की तामील नहीं की गई है। अतः श्री प्रशान्त कुमार वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को निदेशालय स्तर से तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने नवीन पदस्थापन पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर उपस्थिति की सूचना इस विभाग को प्रेषित करें।


(भूपेश माथुर)

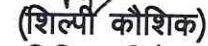
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-10106\2013)/अलेसे-III/ 327

दिनांक:- 26-05-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं. 1, अजमेर
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री प्रशान्त कुमार वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)